जवाहर लाल गुप्ता और के. एस. ग्रेवाल से पहले, जे. जे.

श्रीमती राजेंद्र कौर,-याचिकाकर्ता

बनाम

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ और एक और,-उत्तरदाता

1998 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 19356

13 नवंबर, 2000

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद *226*-भार सेतु स्थापित करने के लिए एक स्थान का आवंटन-याचिकाकर्ता *25* प्रतिशत राशि जमा करता है -

याचिकाकर्ता बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कारण सेतु स्थापित करने में असमर्थ-नगर निगम आवंटन के *3* साल बाद भी बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने में विफल रहा-याचिकाकर्ता को भूमि से कोई लाभ नहीं मिल सका-याचिकाकर्ता द्वारा किश्तों का भुगतान तब तक स्थगित कर दिया गया जब तक कि सभी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं-लागत के साथ रिट याचिका की अनुमति।

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता नवंबर, 1997 से बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण साइट का उपयोग करने में असमर्थ रहा है।यहां तक कि सड़क भी नहीं बनाई गई है।इस प्रकार, स्थल तक पहुंचना भी संभव नहीं है।वज़न वाले पुल की स्थापना या उपयोग स्पष्ट रूप से कठिन है।यह प्रतिवादीगण की ओर से निष्क्रियता के कारण है कि याचिकाकर्ता भूमि से कोई लाभ प्राप्त करने और उसके द्वारा पहले से ही खर्च की गई पर्याप्त राशि पर वापसी अर्जित करने में असमर्थ रही है।

(पैरा 4)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक नागरिक, जो धन की एक किस्त के भुगतान में देरी करता है, उस पर 24 प्रीतिशत की दर से ब्याज और जुर्माने के भुगतान का बोझ होता है।दर। प्रीतिवादी ने पिछले लगभग तीन वर्षों से याचिकाकर्ता को कुछ भी प्रदान किए बिना उसके पैसे अपने पास रखे हुए हैं।घटनाओं का क्रम प्रशासन पर लगाए गए दायित्व के प्रति पूरी तरह से उदासीनता का खुलासा करता है।सड़क और पार्किंग क्षेत्र जैसी बुनियादी आवश्यकता प्रदान करने में विफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।नागरिक भुगतान करता है और फिर भी पीड़ित होता है।हम प्रतिवादीगण को उनकी जड़ता और निष्क्रियता के लिए बधाई नहीं दे सकते। बहुत से लोग हैं जो 'सिविल सेवक' होने का दावा करते हैं प्रन्तु नागरिकों की सेवा बहुत कम है।

(पैरा 6)

आर. एस. दास, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

सुभाष गोयल, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या *1* और *2* के लिए।

सुश्री दीपाली पुरी, अधिवक्ता, नगर निगम की ओर से।

न्याय

जवाहर लाल गुप्ता (मौखिक)

1. 18 नवंबर, 1997 को प्रतिनिधि एडमिरल ने औद्योगिक क्षेत्र, चरण II, चंडीगढ़ में वजन पुल की स्थापना के लिए एक स्थल की नीलामी की।याचिकाकर्ता सबसे अधिक बोली लगाने वाला

था।उसका 58 लाख रुपये का प्रस्ताव। स्वीकार कर लिया गया।याचिकाकर्ता ने नीलामी के समय 25 प्रतिशत राशि का भुगतान किया था।बोली की स्वीकृति के अनुसरण में, याचिकाकर्ता को 19 जनवरी, 1998 को आवंटन पत्र दिया गया था।शेष 75 प्रतिशत का भुगतान तीन वार्षिक किश्तों 10 दिसंबर, 1998,10 दिसंबर, 1999 और 10 दिसंबर, 2000 को करना था।अक्तूबर, 1998 में, याचिकाकर्ता ने एस्टेट अधिकारी को इस अनुरोध के साथ दो संचार भेजे कि साइट पर सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वह वजन पुल स्थापित कर सके और अपने द्वारा खर्च किए गए धन का उपयोग कर सके।जिसपर कुछ नहीं किया गया।नवंबर, 1998 में दो और अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए।चार अभ्यावेदनों की प्रतियां अनुलग्नक पी-7 से पी-10 के रूप में दर्ज हैं।जब अधिकारी आवश्यक कार्य करने में विफल रहे, तो याचिकाकर्ता ने दिसंबर, 1998 में वर्तमान रिट याचिका दायर की।वह प्रार्थना करती है कि "प्रतिवादीगण को पानी का कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन, बिजली की आपूर्ति, संपर्क सड़क और साइट पर पार्किंग जैसी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश देते हुए अनिवार्य प्रकृति का एक रिट जारी किया जाए"।वह आगे प्रार्थना करती है कि "किश्त, भूमि किराया और ब्याज, जो 10 दिसंबर, 1998 तक देय है, को स्थगित किया जा सकता है और प्रतिवादीगण को सुविधाओं के प्रावधान से एक साल के बाद किस्त, भूमि किराया और ब्याज लेने का निर्देश दिया जा सकता है।"

2. प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था।प्रतिवादीगण ने 19 अप्रैल, 1999 को उपस्थिति दर्ज कराई।उन्हें सुनवाई की तारीख से दो दिन पहले लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।अधिक समय की मांग की गई थी।13 सितंबर, 1999 को और समय दिया गया।मामले को 17 जनवरी, 2000 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब 17 जनवरी, 2000 को दाखिल किया गया था।सुश्री दीपाली पुरी द्वारा लिखित बयान दाखिल करने वाले अधिकारी के नाम या पदनाम का खुलासा नहीं किया गया है।प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था।मामला स्थगित कर दिया गया और अंत में इसे10, अक्टूबर, 2000 को इस पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।उस तारीख को प्रशासन को शपथ पत्र दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए स्थगन का अनुरोध किया गया था।साथ ही नगर निगम की विद्वान वकील सुश्री दीपाली पुरी को स्थल पर सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए भी समय दिया गया।यह आज सुनवाई के लिए आया है।

3. याचिकाकर्ता के वकील श्री आर. एस. दास ने कहा कि अभी तक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं।प्रतिवादीगण के विद्वान वकील का कहना है कि सड़क के निर्माण पर काम शुरू कर दिया गया था।वित्तीय बाधाओं के कारण इसे पहले शुरू नहीं किया जा सका था।

4. जैसा कि ऊपर देखा गया है, घटनाओं का क्रम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता नवंबर, 1997 से बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण साइट का उपयोग करने में असमर्थ रहा है। यहां तक कि सड़क भी नहीं बनाई गई है।इस प्रकार, स्थल तक पहुंचना भी संभव नहीं है।वज़न पुल की स्थापना या उपयोग स्पष्ट रूप से कठिन है।प्रतिवादीगण की इस निष्क्रियता के कारण ही याचिकाकर्ता भूमि से कोई लाभ प्राप्त करने और उसके द्वारा पहले से ही खर्च की गई पर्याप्त राशि पर वापसी अर्जित करने में असमर्थ रही है।

5. एक तथ्य, जो उल्लेख के योग्य है, वह यह है कि नगर निगम की ओर से 17 जनवरी, 2000 को दायर लिखित बयान में कहा गया था कि मलजल निकासी और पानी की आपूर्ति जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।यह भी कहा गया था कि "केवल सड़कों और पार्किंग क्षेत्र का निर्माण/निर्माण करने की आवश्यकता है, जो छह महीने की अवधि के भीतर पूरा हो जाएगा। स्वीकारीय है कि तब से 9 महीने से अधिक की अवधि बीत चुकी है।सड़कें और पार्किंग क्षेत्र अभी तक नहीं बनाए गए हैं।याचिकाकर्ता को 15 लाख रुपये की राशि के लाभ से वंचित कर दिया गया है

जो उन्होंने अब तक खर्च किए हैं।क्यों?कई बहाने।लेकिन, कोई निष्पादन नहीं।

6. एक नागरिक, जो धन की एक किस्त के भुगतान में देरी करता है, उस पर 24 प्रतिशत की दर से ब्याज और जुर्माने का बोझ पड़ता है।वर्तमान मामले में प्रतिवादीगण ने पिछले लगभग तीन वर्षों से याचिकाकर्ता को कुछ भी प्रदान किए बिना उसके पैसे अपने पास रखे हुए हैं।घटनाओं का क्रम प्रशासन पर लगाए गए दायित्व के प्रति पूरी तरह से उदासीनता का खुलासा करता है।सड़क और पार्किंग क्षेत्र जैसी बुनियादी आवश्यकता प्रदान करने में विफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।सुश्री दीपाली पुरी का कहना है कि वित्तीय बाधाएं थीं।क्या नगर निगम, जिसका वह प्रतिनिधित्व करती हैं, ने प्रशासन से धन मांगा था?यदि हाँ, तो कब?लिखित बयान में या सुनवाई में भी कोई जवाब नहीं है।ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन के साथ-साथ निगम भी अपनी आय से अधिक 'जीवन यापन' कर रहे हैं।नागरिक भुगतान करता है और फिर भी पीड़ित होता है।हम प्रतिवादीगण को उनकी जड़ता और निष्क्रियता के लिए बधाई नहीं दे सकते।बहुत से लोग हैं जो 'सिविल सेवक' होने का दावा करते हैं।लेकिन नागरिकों की सेवा बहुत कम है।

7. कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा किश्त का भुगतान स्थगित कर दिया जाएगा।वह उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर पहली किश्त का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी जिस दिन सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।इसके अलावा, प्रतिवादीगण नवंबर, 1997 से उस तारीख तक की अवधि के लिए कोई ब्याज या भूमि किराया लेने के हकदार नहीं होंगे, जिस दिन सड़क, पानी और मलजल निकासी जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।आबंटन की शर्तों को तदनुसार पढ़ा जाना चाहिए।यह स्पष्ट किया जाता है कि दूसरी और तीसरी किश्तें उस तारीख से एक-एक वर्ष की समाप्ति पर देय हो जाएंगी जिस दिन पहली किश्त देय होगी। अरे, उम्मीद है, यह अधिकारियों को जगाएगा और याचिकाकर्ता जैसे अन्य लोगों को परेशानी नहीं होगी।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती_है।याचिकाकर्ता अपनी लागत का भी हकदार होगा, जिसका आकलन रु। 10, 000 किया गया है।

अस्वीकरण *:* स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

जसप्रीत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा